

157/25

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करीली

दिनांक:- 3-10-2025

क्रमांक:-

"ग्रामीण सेवा शिविर"

कैम्प कोर्ट रत्नावटा

2025/443

बुद्धराय बनाम राज सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 3-10-2025

पटवारी हल्का रत्नावटा, भू. अभिलेख निरीक्षक बुद्धराय की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम रत्नावटा के खाता संख्या 160, 161, 309 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | राजस्व ग्राम का नाम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | अशुद्ध प्रविष्टि | शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि | वि. विवरण |
|---------|---------------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|-----------|
| 01. | <u>रत्नावटा</u> | <u>160</u> | <u>38</u> | <u>बुद्धराय</u> | <u>बुद्धराय</u> | |
| 02. | | <u>161</u> | <u>333</u> | | | |
| 03. | | <u>309</u> | | | | |
| 04. | | | | | | |

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट रत्नावटा

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाव।

02. पटवारी, पटवार हल्का रत्नावटा।

03. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

